(12)

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 223446 पटना, दिनांक 11/03/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(स्व0भा0मि0)-102-03/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी उप विकास आयुक्त

विषय :- **इंदिरा आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत व्यक्तिक पारिवारिक शौचालयों का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभिसरण से निर्माण किये जाने हेतु निधि विमुक्त किये जाने के संबंध में ।**

प्रसंग:- बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना का पत्रांक-203 दिनांक-11.02.2015

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास के साथ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में यह व्यवस्था की गई थी कि इंदिरा आवास के लाभुकों को इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण पूर्ण करने के बाद ही "निर्मल भारत अभियान" एवं "मनरेगा" के अभिसरण से शौचालय मद में अनुमान्य राशि लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी।

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रासंगिक पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यवस्था के संचालन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को निधि की विमुक्ति की गई थी किन्तु विमुक्त राशि के विरूद्ध शत प्रतिशत राशि का न तो उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया और नही बची हुई राशि वापस ही की गई । इन कारणों से इस मद की आगामी विमुक्त होने वाली राशि अवरूद्ध है।

विदित है कि वर्तमान में शौचालय निर्माण में पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है और अब इंदिरा आवास के साथ शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की व्यवस्था के अन्तर्गत शौचालय निर्माण एवं शौचालय उपयोग तथा हाथ धोने के लिए पानी का भंडार की व्यवस्था करने पर प्रति लाभुक 12000/- रूपये (बारह हजार रूपये) अन्यथा मात्र 10000/- रूपये (दस हजार रूपये) प्रोत्साहन राशि लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित की जायेगी। इस निरूपित व्यवस्था के अनुसार इंदिरा आवास के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद लाभार्थियों की सूची उनके बैंक खाते की विवरणी के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराई जायेगी।

ऐसी स्थिति में वर्तमान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान की बदली हुई व्यवस्था के फलस्वरूप यह आवश्यक है कि पूर्व में निर्मल भारत के अभियान के अन्तर्गत मनरेगा के अभिसरण से शौचालय निर्माण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं ग्राम पंचायतों को विमुक्त की गई राशि का शत प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा राशि अवशेष रहने की स्थिति में बची हुई राशि की वापसी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। यद्दपि इस महत्वपूर्ण विषय की ओर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान भी आकृष्ट किया गया है।

(11)

अतः बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना का पत्रांक-203 दिनांक-11.02.2015 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता की सूची में रखते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों/ग्राम पंचायतों के साथ समीक्षा बैठक कर बिना विलम्ब अधिकतम 31मार्च 2015 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र/राशि वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नई व्यवस्था के तहत इंदिरा आवास के साथ शौचालय निर्माण कराने के लिए देय प्रोत्साहन राशि लाभुकों को भुगतान करने के निमित लाभुकों की सूची उनके बैंक खाता विवरणी के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध करा दी जाय।

(प्रदीप कुमार) 10.3.15
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 223446 पटना, दिनांक 11/03/15

प्रतिलिपि:-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि तीन दिनों के अन्दर वांछित कार्रवाई संबंधित प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त को समर्पित करेंगे

सरकार के सचिव 10.3.15

ज्ञापांक 223446 पटना, दिनांक 11/03/15

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव 10.3.15

ज्ञापांक 223446 पटना, दिनांक 11/03/15

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

2. आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. विभागीय IAY Monitoring & Evaluation Team को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेशित किया जाता है कि जिलों से दूरभाष स्थापित कर दैनिक प्रगति का प्रतिवेदन परियोजना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

सरकार के सचिव 10.3.15

CN-61253/15

बिहार सरकार
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015.

पत्रांकः पी.एच./बि.ज.स्व.मि.–108/2012– दिनांकः

प्रेषकः अंशुली आर्या,
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना।

सेवा में,
श्री एस0एम0 राजू,
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः इन्दिरा आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अभिसरण से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अभिसरण से निर्माण किए जाने हेतु निधि विमुक्त किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक ग्रा0वि0–इं0आ0यो0(स्व0भा0मि0)–102–03/2015–219765, दिनांक 09.02.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गदर्शिका के अनुसार "आई ए वाई मकानों के लिए कार्यात्मक शौचालयों के प्रावधान के लिए इन्दिरा आवास योजना कार्यक्रम में इस प्रावधान को अलग से शामिल किया जाएगा। मौजूदा आई ए वाई व्यवस्था में ऐसा प्रावधान होने तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से वित्तपोषण जारी रहेगा"। प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए इन्दिरा आवास की निर्धारित लक्ष्य 274981 के अनुरूप शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में कहना है कि निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत मनरेगा के अभिसरण से शौचालय निर्माण हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को क्रमशः रू. 93.30 करोड़ एवं रू. 115.79 करोड़ विमुक्त किया गया है जिसके विरूद्ध उनसे क्रमशः रू. 49.73 करोड़ तथा रू. 73.99 करोड़ का उपयोगिता अबतक अप्राप्त है। अधोहस्ताक्षरी एवं आपके संयुक्त हस्ताक्षर से पत्रांक 1109, दिनांक 12.12.2014 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपर्युक्त विमुक्त राशि वापस लेने का निदेश दिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा उनके पत्रांक 828, दिनांक 15.09.2014 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायतों को निर्मल भारत अभियान की विमुक्त राशि का उपयोग हर हाल में 15 अक्टूबर, 2014 तक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने तथा उप विकास आयुक्त को अक्टूबर, 2014 का वेतन उनके द्वारा विमुक्त राशि की शत प्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित करने के उपरान्त प्राप्त करने हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 122, दिनांक 30.01.2015 के द्वारा भी

राशि की उपयोगिता हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 04.09.2014 को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे गये हैं।

ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/ग्राम पंचायतों को विमुक्त राशि को व्यय नहीं माना जाता है ब्लकि शौचालय निर्माण के उपरान्त लाभार्थियों की विवरणी भारत सरकार के वेबसाईट पर अपलोड करने पर ही इसे व्यय माना जाता है। उपर्युक्त विमुक्त राशि व्यय नहीं होने के कारण भारत सरकार से वर्ष 2014–15 में कोई राशि विमुक्त नहीं की गई है जो गहन चिंता का विषय है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/ग्राम पंचायतों के द्वारा राशि का उपयोगिता/राशि वापस नहीं किये जाने के कारण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति बाधित है तथा भारत सरकार के स्तर पर आहूत बैठकों में अधोहस्ताक्षरी को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन्दिरा आवास के लाभार्थियों के घरों में शौचालय निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद लाभार्थियों की सूची उनके बैंक खाते की विवरणी के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध करायी, जाय ताकि उनके बैंक खाते में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का प्रोत्साहन राशि विमुक्त किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियें द्वारा शौचालय निर्माण एवं शौचालय के उपयोग तथा हाथ धोने के लिए पानी के भंडार की व्यवस्था करने पर रू. 12000 प्रोत्साहन राशि अन्यथा रू. 10000 प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

विश्वासभाजन

AA 11/2
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 203 दिनांकः– 11–2–2015

प्रतिलिपिः निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, 12 तल्ला, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

AA 11/2
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 203 दिनांकः– 11–2–2015

प्रतिलिपिः 1. मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी–सह जिला स्वास्थ्य समिति/ सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वा0 अभि0 विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

AA 11/2
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव